



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18012023-242065
CG-DL-E-18012023-242065

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 281]
No. 281]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 17, 2023/पौष 27, 1944
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 17, 2023/PAUSHA 27, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2023

का.आ. 295(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 4197(अ) दिनांक 08 सितम्बर 2022, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा बिहार राज्य के नालंदा जिले में NH-82 के कि.मी. 119.32 से कि.मी.149.02 (बिहारशरीफ-बरबीघा-मोकामा) तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "23 सितम्बर 2022 " को "दैनिक जागरण" और "टाइम्स ऑफ़ इंडिया, पटना " दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

बिहार राज्य के नालंदा जिले में NH-82 के कि.मी. 119.32 से कि.मी.149.02 (बिहारशरीफ-बरबीघा-मोकामा) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: बिहार		जिले का नाम: नालंदा			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: बिहार शरीफ				
	गांव का नाम: उपरौरा				
1	474	निजी	धनहर	0.0175637	विशुनदेव प्रसाद पिता स्व0 प्रभु गोप (474)
2	474	निजी	धनहर	0.0179684	मिथलेश कुमार पिता राकेश्वर प्रसाद (474)
3	474	निजी	धनहर	0.0067584	चन्द्रिका प्रसाद पिता स्व0 विशेश्वर प्रसाद (474)
4	477	निजी	धनहर	0.0087819	चन्द्रिका प्रसाद पिता स्व0 विशेश्वर प्रसाद (477)
			कुल	0.0510724	

[फा. सं. NHAI/PIU/PAT/LA/NH-82/2013/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2023

S.O. 295(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. 4197(E) Dated 08 Sept. 2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/with paved Shoulder 2-Laning/four-laning, etc.), maintenance,

management and operation of NH82 on the stretch of land from Km 119.32 to Km 149.02 (Biharsharif-Barbigha-Mokama) in the district of NALANDA in the state of BIHAR;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagaran” and “Times Of India, Patna” both dated 23-Sept-2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the NH82 in the stretch of land from Km. 119.32 to Km. 149.02 (Biharsharif-Barbigha-Mokama) in the district of NALANDA in the state of BIHAR

State: BIHAR		District: NALANDA			
Sr. No.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Bihar Sharif				
	Village: Upraura				
1	474	Private	Dhanhar	0.0175637	Vishundeo Prasa S/O Late Prabhu Gop 474
2	474	Private	Dhanhar	0.0179684	Mithlesh Kumar S/O Rakeshwar Prasad 474
3	474	Private	Dhanhar	0.0067584	Chandrika Prasad S/O Late Visheshwar Prasad 474
4	477	Private	Dhanhar	0.0087819	Chandrika Prasad S/O Late Visheshwar Prasad 477
			TOTAL	0.0510724	

[F. No. NHAI/PIU/PAT/LA/NH-82/2013/3D]

RAJESH GUPTA, Director